

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

की धारा-4 (1) (बी) के अन्तर्गत स्वमेव प्रकटीकरण की जानकारी

(PROACTIVE DISCLOSURE)

विवरणिका

(17 POINT - MANUAL)

—::000::—

## अनुक्रमणिका (Index)

क्रं.	विवरण	पेज नं.
	प्रस्तावना	03-04
1.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य	05-20
2.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कृत्य	21-28
3.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं	29
4.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	30
5.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख	31
6.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में दस्तावेजों जो धारित या नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण	32
7.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए या अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं	33
8.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत गठित मण्डल परिषद कमेटी	34
9.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	35-37
10.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली है, की जानकारी	38-42
11.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को आबंटित बजट	43
12.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	44
13.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ	45
14.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उपलब्ध हो या धारित हों	46
15.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष एवं कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	47
16.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	48
17.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में अन्य सूचना जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा।	49

# प्रस्तावना

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 15 जून, 2005 को स्वीकृति प्रदान दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम सम्पूर्ण भारत में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू हो चुका है।

“सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को कम करना तथा लोकतंत्र को सही अर्थों में लोगों के हित में काम करने में सक्षम बनाना है।

सूचना ऐसी चीज है, जिसे प्रत्येक नागरिक समाज के जीवन और शासन में भागीदारी करने की अपेक्षा करता है। जितनी अधिक सूचना तक नागरिकों की पहुंच होगी, उतना अधिक सामुदायिक आवश्यकता के प्रति शासन उत्तरदायी होगा। वैकल्पिक रूप से जितना अधिक निर्बंधन होगा, जो पहुंच पर रखे जाते हैं, उतना अधिक शक्तिहीनता और अन्य संक्रमण की भावना होगी। सूचना के बिना लोग पर्याप्त रूप से नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों का प्रयोग नहीं कर सकते या सूचित चुनाव नहीं कर सकते।”

प्रस्तुत जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ब) के अन्तर्गत है। इस हस्तपुस्तिका का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपालन में नागरिकों को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड से संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराकर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना है। इस हस्तपुस्तिका में निम्नलिखित सत्रह बिन्दुओं की विवरणिका (Manual) सम्मिलित है।

1. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य।
2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कृत्य।
3. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।
4. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।

5. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख।
6. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में दस्तावेजों जो धारित या नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण।
7. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए या अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं।
8. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत गठित मण्डल, परिषद कमेटी।
9. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका।
10. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली है, की जानकारी।
11. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को आबंटित बजट।
12. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।
13. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ।
14. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उपलब्ध हो या धारित हों।
15. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष एवं कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।
16. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।
17. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में अन्य सूचना, जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा।

हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों से संबंधित छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, की जानकारी वेबसाइट <http://www.cspc.co.in> में भी पृथक रूप से उपलब्ध है।

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## मैनुअल क्रमांक-4 (ख) i

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य)

क्रमांक	विवरण
1	प्रारंभिकी ।
1.1	हमारा दर्शन ।
1.2	सिंहावलोकन (संक्षिप्त इतिहास एवं गठन का प्रसंग) ।
1.3	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड प्रबंधन (यथास्थिति) ।
1.4	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रमुख अधिकारी ।
1.5	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के संगठनात्मक ढाँचा ।
1.6	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रमुख क्रियाकलाप (वित्तीय वर्ष 2020-21)
1.7	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रमुख जनसूचना अधिकारी ।
1.8	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड का पता, व कार्यालयीन समय एवं अवकाश ।

# C.S.POWER HOLDING COMPANY LIMITED

## The philosophy

### **Vision**

A Reliable, Environment Friendly, Power Generation & Distribution at competitive cost

### **Mission**

To make the State POWER HUB of the Country  
To set a reliable PROFESSIONAL & I.T. Savvy utility  
To promote EXCELLENCE in Power Business  
To set a NATIONAL STANDARD IN efficiency, Oprn. & Maint.

### **Values**

Loyalty & Pride of the Organization  
Honesty, Professional Integrity & Fairness  
Safe & Motivating working environment  
Standard in quality norm  
Continuous learning process  
Excellent Employee-Employer relationship

### **Attitude**

A Win Win approach  
Customer Centric to the core  
Validation of state-of-the art technology to  
Indian Power Industry  
Transparency in profession  
Team Spirit & Mutual Trust

## 1.2 सिंहावलोकन

### (संक्षिप्त इतिहास एवं गठन का प्रसंग)

विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वर्ष 1957 में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की स्थापना हुई। भारतीय संसद द्वारा पारित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 1 नवम्बर, 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का नव-उदय हुआ। तत्पश्चात् विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य शासन के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 नवम्बर, 2000 के माध्यम से जारी अधिसूचना से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन किया गया एवं उक्त तिथि से अपनी पैतृक संस्था मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अस्तित्व में आ गया एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने 01 दिसम्बर, 2000 से विधिवत् कार्य करना प्रारंभ किया।

सम्पूर्ण देश में लागू हुए विद्युत सुधार कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act 2003) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य शासन के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को पाँच कम्पनियों में यथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, के रूप में पुनर्गठित किया गया। राज्य शासन द्वारा इस अधिसूचना को अधिक्रमित कर दिनांक 31.03.2010 को पुनरीक्षित योजना नियम जारी किये गये।

### अधिसूचना

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला- रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना आदेश क्रमांक 2945/F-21/13/2/2009 दिनांक 30.12.2019 के अंतर्गत राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की सम्पतियों, उपक्रमों, हितों, अधिकारों, बाध्यताओं, दायित्वों, कार्मिकों और कार्यवाहियों को उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों अर्थात् छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, को अंतरित करने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम 2010 जिसे आगे "योजना" के नाम से संदर्भित किया गया है, को दिनांक 31 मार्च 2010 को अधिसूचित किया गया है कि उक्त योजना में शब्द "एक सौ बत्तीस माह" के स्थान पर शब्द "एक सौ छप्पन माह" अंकित किया गया है। (जो दिनांक 30.12.2019 से लागू होगी)

## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना, 2010

राजपत्र में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के कर्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार दर्शाए गए हैं ।

1. “होल्डिंग कम्पनी” से अभिप्राय छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड से है, जिसे कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के अन्तर्गत मुख्य रूप से होल्डिंग कम्पनी, जनरेशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, ट्रांसमिशन कम्पनी एवं ट्रेडिंग कंपनी के सुचारु रूप से संचालन के लिए उनके मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए गठित व पंजीकृत की गयी है।

### छ.ग. स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के कार्य एवं दायित्व

होल्डिंग कंपनी के क्रियाकलाप एवं दायित्व कंपनी के द्वारा निर्मित “संस्था के ज्ञापन-पत्र” एवं “संस्था नियमावली” की धाराओं के अंतर्गत मूलतः निर्दिष्ट होंगे या जैसा समय-समय पर परिवर्तन हो।

#### होल्डिंग कंपनी के प्रमुख कार्य एवं दायित्व :

##### (क) होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य एवं दायित्व :

- (i) होल्डिंग कंपनी नियत तिथि से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीट्रेडको) में शत-प्रतिशत अंशपूजी (इक्विटी) रखेगी
- (ii) होल्डिंग कंपनी छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसपीडीसीएल एवं सीएसपीट्रेडको में समय-समय पर आवश्यक अतिरिक्त अंशपूजी निवेश कर सकेगी
- (iii) होल्डिंग कंपनी संक्रमण अवधि में समस्त आवश्यक सहयोग उत्तरदायी कंपनियों को प्रदत्त करेगी
- (iv) होल्डिंग कंपनी, अन्य उत्तरदायी कंपनियों के परामर्श से अंतिम रूप से आबंटन होने तक अभिलाभ की सेवाएँ प्रदत्त करेगी। इसमें स्थानांतरण एवं आबंटित पद की लाभ सेवाएँ भी सम्मिलित होंगी
- (v) होल्डिंग कंपनी द्वारा व्यय की समस्त राशि जैसे प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, विधिक एवं परामर्श शुल्क इत्यादि जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन



कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी को क्रमशः समानुपातिक रूप से वितरित करेगी, या जैसा समय-समय पर परिवर्तन हो।

**(ख) निवेश कंपनी के रूप में कार्य एवं दायित्व :-**

(i) होल्डिंग कंपनी प्राथमिक रूप से एक निवेश कंपनी होगी तथा जनरेशन ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा ट्रेडिंग से संबंधित किसी भी व्यवसाय में रत् कंपनियों में निवेश कर सकेगी

(ii) होल्डिंग कंपनी निजी विद्युत विकासकर्ता के साथ ज्वाइंट वेंचर रूट द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित समस्त आगामी परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अंशपुंजी निवेश करेगी, या जैसा समय-समय पर परिवर्तन हो।

**(ग) होल्डिंग कंपनी के समन्वयक कार्य :-**

(i) स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ समन्वय (आईपीपीज)।

(ii) होल्डिंग कंपनी समस्त नवीन केपिटल परियोजनाओं के सिन्क्रोनाइजेशन तथा समय पर विकास हेतु प्रत्येक अनुमानित मूल्य सीएसपीजीसीएल की प्रत्येक योजना जिसकी लागत रू. 20 करोड़ तथा सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीडीसीएल तथा सीएसपीट्रेड को प्रत्येक की योजना जिसकी लागत रू. 10 करोड़ है के समय पर पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करेगा। इस प्रयोजनार्थ, होल्डिंग कंपनी दो उच्च स्तरीय समितियों के गठन हेतु उत्तरदायी होगा। यथा संचालन समिति, जिसमें समस्त उत्तराधिकार कंपनी के प्रबंध संचालक सम्मिलित होंगे तथा होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होंगे। तथा समस्त उत्तरवर्ती कंपनियों के वित्त तथा लेखा प्रमुख के साथ उत्तरवर्ती कंपनियों के वरिष्ठ कार्यपालन संचालकों/मुख्य अभियंताओं को सम्मिलित कर उपरोक्तानुसार कृत्य निर्वहन हेतु कार्यबल (टॉस्क फोर्स) का गठन करेगा। होल्डिंग कंपनी के नामांकित व्यक्ति इस समिति एवं कार्यबल के संयोजक होंगे या जैसा समय-समय पर परिवर्तन हो।

(iii) राज्य शासन या किसी अन्य राज्य शासन की एजेंसी और उत्तरवर्ती कंपनियों की सहभागिता से विकसित उत्पादन परियोजनाओं का विकास और क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करना या जैसा समय-समय पर परिवर्तन हो।

(iv) यह आवश्यक होगा कि उत्तरदायी कंपनियों के सुचारु कृत्यकारिणी के लिए समय-समय पर होल्डिंग कंपनी राज्य शासन तथा उत्तरवर्ती कंपनियों के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।

(v) वित्त तथा लेखा से संबंधित समन्वय कार्य तथा कर्तव्य :-

(v-क) होल्डिंग कंपनी संक्रमण (ट्रॉन्जिशन) अवधि के दौरान नगद प्रवाह व्यवस्थाओं तथा लेखा प्रक्रिया के संबंध में उत्तरदायी कंपनियों हेतु समस्त कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(v-ख) 31 दिसम्बर, 2008 तक पूर्ववर्ती सीएसईबी के दौरान के लेखों का अंतिमिकरण तथा अंकेक्षण।

(v-ग) होल्डिंग कंपनी ट्रॉन्जिशन अवधि के लिए प्रत्येक कंपनी के लेखाओं के अंतिमिकरण बाबत उत्तरवर्ती कंपनियों हेतु सभी वांछित सहायता तथा जानकारी भी उपलब्ध करायेगा।

(vi) मानव संसाधन से संबंधित समन्वय कार्य तथा कर्तव्य :-

(vi-क) होल्डिंग कंपनी अन्य उत्तरदायी कंपनियों के साथ परामर्श कर उत्तरवर्ती कंपनियों के कर्मचारियों हेतु भर्तियाँ तथा पदोन्नति हेतु योजनाएँ/विनियम निर्माणार्थ उत्तरदायी होवेगी।

(vi-ख) होल्डिंग कंपनी अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों के साथ परामर्श कर जैसा और जब अपेक्षित हो, उत्तरदायी कंपनियों हेतु वेतनमान तथा पारिश्रमिक देयक संरचना के संबंध में आवश्यक योजनाओं के निर्माणार्थ उत्तरदायी होवेगी। तथापि, प्रत्येक उत्तरवर्ती कंपनी कार्यक्षमता के विकास के संबंध में प्रोत्साहन तथा प्रशंसानार्थ उनके कर्मचारियों हेतु किसी पारितोषिक या प्रोत्साहन योजना की अभिकल्पना हेतु स्वतंत्र होगी।

(vi-ग) होल्डिंग कंपनी, सीएसईबी उपादान तथा वृत्ति निधि न्यास तथा सीएसईबी भविष्य निधि न्यास के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण सहित उत्तरदायी कंपनियों के कर्मचारियों हेतु टरमिनल दायित्वों के निर्वहनार्थ उत्तरवर्ती कंपनियों के मध्य समन्वय करेगी।

(vi-घ) होल्डिंग कंपनी अपने स्वयं की आवश्यकताओं हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध यथावश्यक कार्मिक भर्ती करेगा।

(vii) विधिक मुद्दों से संबंधित समन्वयक कार्य तथा कर्तव्य :-

(vii-क) होल्डिंग कंपनी पूर्ववर्ती सीएसईबी के नाम में आयकर विधि के किसी न्यायालय में अवलम्बित अधिकरण या राज्य तथा केन्द्र शासन के किसी प्राधिकारी समस्त मामलों के साथ संव्यवहार्य करेगा।

(vii-ख) होल्डिंग कंपनी वैट, सेस, आयकर तथा सीमा कर ट्रॉन्जिशन अवधि के दौरान समस्त उत्तरवर्ती कंपनियों के मामलों हेतु समस्त विषयों के लिए समन्वय करेगा।

(vii-ग) एमपीईबी के पुनर्गठन तथा पूर्ववर्ती सीएसईबी के पुनर्संगठन के लिए किसी विधिक लम्बित प्रकरणों को हस्तगत करने, किन्तु किसी वैयक्तिक उत्तरवर्ती कंपनी के उपक्रमों एवं आस्तियों से संबंधित प्रकरणों को त्याज्य कर।

**(घ) पूर्ववर्ती एमपीईबी/एमपीएसईबी/सीएसईबी के विवादों/मुद्दों के दायित्व निर्वहन तथा निपटारा :-**

(i) होल्डिंग कंपनी उत्तरवर्ती कंपनियों के मध्य आबंटन तक पूर्ववर्ती सीएसईबी के समस्त दायित्व का निर्वहन करेगा एवं जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा ट्रेडिंग कंपनी से इस राशि की वसूली करेगा।

(ii) होल्डिंग कंपनी अधोलिखित विवादों/मुद्दों को सुलझाने हेतु उत्तरदायी होगा :-

(ii-क) म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अधीन पूर्ववर्ती एमपीईबी से संबंधित आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारियों एवं कर्मचारियों संबंधी विभाजन विषयक मुद्दे ;

(ii-ख) योजना तथा उसके संशोधन के संबंध में आस्तियों तथा दायित्वों का आबंटन;

(ii-ग) सीएसईबी के पुनर्गठन से संबंधित उत्तरवर्ती कंपनियों के मध्य विभिन्न मतभेदों का निराकरण करने से संबंधित समस्त अन्य कार्यों के साथ संव्यवहार्य करेगा।

### 1.3 छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड का प्रबंधन

(वर्तमान स्थिति)

क्रं.	पदनाम	नाम सर्वश्री	दूरभाष क्र. (आफिस)	दूरभाष क्रमांक (निवास)	मोबाइल नं०	फैक्स क्रमांक
1	अध्यक्ष	अंकित आनंद (भा.प्र.से.)	4066900 2574000	---	9407748805	4028882
2	प्रबंध निदेशक (होल्डिंग)	श्रीमती उज्ज्वला बघेल	2574300 4066926	---	9399681557	---
3	महिला निदेशक	श्रीमती उज्ज्वला बघेल	2574500	---	9399681557	---
4	कार्यपालक निदेशक(मा.सं.)	मनोज खरे	2574700	---	9171876410	2574157
5	कार्यपालक निदेशक (वित्त)	संदीप मोदी	2574359	2574341	9425244583	---

1.4 छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रमुख अधिकारी गण  
(वर्तमान स्थिति में)

1.4 (अ) मानव संसाधन विभाग :-

क्र. :	पदनाम	नाम सर्वश्री	दूरभाष क. (आफिस)	दूरभाष क्रमांक (निवास)	मोबाइल नं०	फैक्स क्रमांक
1.	कार्यपालक निदेशक(मा.सं.)	मनोज खरे	2574700	---	9171876410	2574157
2.	अति. महाप्रबंधक (मा.सं.)	पी. पाण्डेय	2574040	---	9425505364	---
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	डॉ.एच.एल.पंचारी	2574612	2574086	9424154615	---
4.	मुख्य सतर्कता अधिकारी	कृपाशंकर तिवारी	2576060	---	9425162601	2576061
5.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	विंग कामन्डर एन.श्रीनिवास(से.निृ)	---	---	9039916828	----
6.	उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-I	डॉ.श्रीमती अल्पना शरत तिवारी	2574161	---	9424200133	---
7.	उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-II	आर.एस.डहारिया	2574151	---	9425230555	---
8.	उप महाप्रबंधक (औ.सं.)	गोपाल खंडेलवाल	2574171	2106027	9425093614	---
9.	उप महाप्रबंधक (विधि.)	सुनील पटेल (चालू प्रभार)	2574023	-----	8770975570	---
10.	प्रबंधक (क्रय तथा सेवायें)	संजय कुमार जैन	2574114	2574115	9826902144	---
11.	प्रबंधक (मा.सं.) तीन/चार/छः/आठ	पंकज सिंह परमार	2574157	---	9425015018	---
12.	प्रबंधक (समन्वय तथा प्रशासन)	श्रीमती स्नेहा सिंह	2574113	----	8319237965	---
13.	सहायक यंत्री (सतर्कता)	श्रीमती पुष्पलता वर्मा	2576065	---	9406210049	---
14.	सहायक यंत्री	श्रीमती पल्लवी शाह मरकाम	2574683	---	9406230104	----
15.	प्रबंधक (औ.सं.)	अतुल तिवारी	2574671	---	9406236356	---
16.	सहायक प्रबंधक (मा.सं.)	अब्राहम वर्गीस	-----	-----	9893350685	---


17.	सहायक प्रबंधक (मा.सं.)	शीतल कुमार साहू	----	----	9301520195	----
18.	सहायक प्रबंधक (मा.सं.)	नागेश राम साहू	----	----		----
19.	सहायक प्रबंधक (मा.सं.)	कु. अनुप्रिया गढ़वाल	----	----	6232050792	---
20.	सहायक प्रबंधक	कन्हैया लाल देवांगन	----	----	9009834345	---
21.	प्रकाशन अधिकारी	गोविंद पटेल	2574702	----	9893172336	---
22.	विधि अधिकारी	सुनील कुमार पटेल	2574673	----	8770975570	----

#### 1.4 (ब) वित्त विभाग :-

कार्यपालक निदेशक (वित्त) के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं दूरभाष क्रमांक का विवरण :-

क्र.	पदनाम कार्यालय का नाम	अधिकारी का नाम	दूरभाष क्रमांक			
		सर्वश्री / श्रीमती	कार्यालय	निवास	मोबाइल	फैक्स
1	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	संदीप मोदी	2574359	2574341	9425244583	---
2	अति.महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	एस.के.शर्मा	2574323	2574324	98268-32747	---
3	उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	श्रीमती नीतु मुखर्जी	2574361	---	9826068020	---
4	प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	राजेश कुमार तांती	2574369	---	93024-47958	---
5	सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	लेख राम साहू	2574346	---	9300310479	---
6	सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	रूपेश नाग	---	---	8461085464	---

## 1.5 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की संरचना



1.6 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के प्रमुख कार्यो से संबंधित जानकारी निम्नलिखित है। (01.01.2020 से 31.12.2020 की स्थिति में)

- **कार्यरत कर्मी** :-छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी के स्वीकृत सेटअप एवं भरे तथा रिक्त पदों की जानकारी :-

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में कार्यरत कार्मिको की स्थिति :				
सारांश				

सरल क्रमांक	श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रथम श्रेणी	33	28	05
2	द्वितीय श्रेणी	11	08	03
3	तृतीय श्रेणी	40	86	(-) 46
4	चतुर्थ श्रेणी	22	35	(-)13
कुल		106	157	- 51

- **प्रमुख कार्य** :-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम 2010 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पुनर्गठन उपरांत गठित उसकी 04 सहायक कम्पनियां यथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड उत्तरवर्ती कंपनियों हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कुल 59 अधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्नतियाँ आदेश जारी किये गये। साथ ही राज्य की उक्त सभी पॉवर कंपनियों के कुल 206 अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त होल्डिंग कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं ट्रांसमिशन कंपनी हेतु 149 डाटा ऐन्ट्री आपरेटरों की भर्ती की गई।

इस प्रकार वर्ष जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी गई पदोन्नतियाँ, उच्चवेतनमान एवं भर्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-



पदोन्नत किए गए कर्मियों का विवरण

क्रमांक	श्रेणीवार पदोन्नत कर्मियों की संख्या				योग
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
01	46	04	09	निरंक	59

उच्च वेतनमान स्वीकृत किए गए कर्मियों का विवरण

क्रमांक	श्रेणीवार उच्च वेतनमान स्वीकृत कर्मियों की संख्या				योग
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
01	03	55	143	05	206

भर्तियां

क्रमांक	श्रेणीवार नई भर्तियों की संख्या				योग
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
01	निरंक	निरंक	149	निरंक	149

- वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति संबंधी कार्यवाही संबंधित पावर कंपनी द्वारा संपादित की जाती है।
- होल्डिंग कंपनी के संचालक मंडल की पांच (5) बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय निम्नानुसार है :-
  - (1) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के एनपीएस हितग्राही सदस्यों हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर देय प्रावधिक परिवार पेंशन।
  - (2) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में यात्रा भत्ता नियम 2019 लागू किया गया।
  - (3) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के पदोन्नति समिति का राज्य शासन के निर्देशानुसार पुनर्गठन।
  - (4) कोविड -19 की अवकाश अवधि हेतु निर्देश।

- बोनस/अनुग्रह राशि :-

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आदेश क्रमांक 936-937 दिनांक 10.11.2020 द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को लेखा वर्ष 2020 के लिए रुपये 7000/-बोनस/अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई।

- वित्त संकाय :-

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वित्त संकाय के महत्वपूर्ण कार्य :-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना- 2010 (ट्रांसफर स्कीम) के प्रावधानों के अनुसार गठित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वित्त संकाय द्वारा ट्रांसफर स्कीम के संगत कंडिकाओं एवं अनुसूची में परिभाषित होल्डिंग कंपनी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत संपादित कार्य संक्षेप में निम्नानुसार है :-

1. होल्डिंग कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ग्रेच्युटी एण्ड पेंशन निधि न्यास (सी.एस.ई.बी. ग्रेज्युटी फण्ड पेंशन फण्ड ट्रस्ट) तथा छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड भविष्य निधि न्यास सी.एस.ई.बी प्रोव्हाडेंट फण्ड ट्रस्ट) के प्रबंधन तथा निगरानी सहित उत्तरवर्ती कंपनियों के कर्मियों को सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय देय भुगतान के दायित्वों का निर्वहन किया गया।
2. होल्डिंग कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की अवधि के आयकर से संबंधित विभिन्न न्यायालयों, अधिकरण राज्य तथा केन्द्र शासन तथा शासन के किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित संव्यवहार के दायित्वों का निर्वहन किया गया। इसके अतिरिक्त होल्डिंग कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 के संगत प्रावधानों के अधीन अविभाजित मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से संबंधित आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारियों /पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने के कार्यों आदि का निर्वहन किया गया।
3. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंड अलोन वार्षिक लेखों के संकलन पश्चात् वैधानिक अंकेक्षण लेखों को दिनांक 20.11.2020 को संचालक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अंतर्गत कंपनी द्वारा सब्सिडरी कंपनी के वित्तीय लेखों को शामिल करते हुए समेकित वित्तीय लेखे तैयार किये जाते हैं। तदनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए समेकित वित्तीय लेखे भी वर्ष 2020 में तैयार किये गये। इन समेकित वार्षिक लेखों का स्टेचूटरी ऑडिट को पूर्ण कर लेखे संचालक मंडल की बैठक दिनांक 20.11.2020 को अनुमोदित किया गया।

## विद्युत कंपनियों के एकीकरण से संबंधित जानकारी (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में) :-

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के दायित्वों को उसकी 05 उत्तरवर्ती कंपनियों अर्थात् छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को अंतरित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत अंतरण नियम 2010 अधिसूचित की गई है। जिसके अनुसार उक्त पांचों कंपनियों 01 जनवरी 2009 से संचालित है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज एवं क्रेडा की समीक्षा बैठक दिनांक 19.06.2020 एवं दिनांक 27.06.2020 में लिये गये निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में विलय एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में विलय करने का निर्देश दिया गया। प्रस्तावित विलय पश्चात् वर्तमान में संचालित 05 पॉवर कंपनियों के स्थान पर 03 कंपनियों छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कार्य करेगी।

तदानुसार मेसर्स एर्नेस्ट एण्ड यंग एलएलपी, नई दिल्ली को उपरोक्त विलय संबंधी कार्य के लिये माह सितंबर 2020 से सलाहकार नियुक्त किया गया है। सलाहकार द्वारा विभिन्न बैठकों एवं एकत्रित किये गये डेटा के आधार पर Draft Amendment Transfer Scheme तैयार कर दिनांक 23.01.2021 को प्रेषित किया गया है, जिसकी समीक्षा संबंधित प्रभागों द्वारा की जा रही है। समीक्षा उपरांत अंतिम Draft Amendment Transfer Scheme कंपनियों के संचालक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना है।

1.7 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, के प्रमुख जनसूचना अधिकारी :-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद
1	कार्यपालक निदेशक(मा.सं.) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर	श्री आर.एस.डहारिया उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
2	कार्यपालक निदेशक (वित्त) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर	श्री एस.के.शर्मा अति० महाप्रबंधक (वित्त) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर

1.8 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का पता व कार्यालयीन समय व अवकाश

कार्यालयीन पता — द्वितीय तल, विद्युत सेवा भवन  
डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)  
पिन — 492013  
दूरभाष — 0771-2574700

कार्यालयीन समय — सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक।

अवकाश — प्रत्येक रविवार, द्वितीय व तृतीय शनिवार तथा  
राज्य शासन द्वारा घोषित सामान्य अवकाश।

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## मैनुअल क्रमांक-4(ख)ii

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कृत्य)

### **अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य :-**

संगठन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलग-अलग श्रेणी/पद हैं जिनकी संख्या विस्तृत है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय की जरूरत के अनुसार कर्तव्य पालन करते हैं। कार्यालयों में उपयोग होने वाले पदनाम की संख्या एवं प्रकार अलग-अलग है, तदपि होल्डिंग कम्पनी के विभिन्न कार्यालयों यथा प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक (मानव संसाधन), कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा), कार्यपालक निदेशक(विभागीय-जांच)(संविदा), मुख्य सुरक्षा अधिकारी(संविदा), मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, अतिरिक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन), उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-एक, उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-दो, उपमहाप्रबंधक (औ.सं.), प्रकाशन अधिकारी (ज.सं.), उपमहाप्रबंधक (विधि), प्रबंधक (समन्वय तथा प्रशासन) तथा प्रबंधक (क्रय तथा सेवायें) को मण्डल आदेश क्रमांक 01-01/दो/219/32 दिनांक 20.03.1985 एवं उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के द्वारा अपने अधिकारियों को कर्तव्य निर्वहन के लिए अधिकार प्रत्योजित किए हैं।

### **छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अधीन पदों का प्रकार्य :-**

कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक(मा.सं.), मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी,, मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा), कार्यपालक निदेशक(विभागीय-जांच)(संविदा), अतिरिक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन), उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)-एक, उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)-दो, प्रकाशन अधिकारी, प्रबंधक (समन्वय तथा प्रशासन), प्रबंधक (क्रय तथा सेवाएं) ,उपमहाप्रबंधक (औद्योगिक संबंध), उपमहाप्रबंधक (विधि)

#### **उप महाप्रबंधक (मा.सं.) एक**

उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)-एक द्वारा निष्पादित कार्य को दो प्रभागों में बांटा गया है, यथा प्रबंधक (मा.सं.)-पाँच एवं प्रबंधक (मा.सं.) -दो साथ ही उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-एक द्वारा एन.पी.एस. एवं अनुकंपा नियुक्ति (वर्ष 2000 से पूर्व के प्रकरण) से संबंधित कार्य विशेष रूप से किया जाता है।

## 1. प्रबंधक (मा.सं.)—पॉच

1. ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों के पदोन्नति पेनल, यथा सिविल/वित्त एवं लेखा/सुरक्षा/अग्निशमन/चिकित्सा इत्यादि।
2. प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों से संबंधित पावर कंपनीज की नीतिगत निर्णय संबंधी कार्य।
3. अतिविशिष्ट शासकीय पत्रों का उत्तर।
4. गोपनीय चरित्रावली पुनरावलोकन संबंधी अभ्यावेदनों पर कार्यवाही।
5. कंपनी स्थानांतरण से संबंधित प्रकरणों का संधारण।
6. सूचना के अधिकार के प्रकरणों पर कार्यवाही।
7. उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—एक से संबंधित समस्त न्यायालयीन पत्रों का संधारण।
8. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों पर कार्यवाही।
9. प्रथम श्रेणी अधिकारियों की वरिष्ठता सूची।
10. उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर आदेशित अन्य कार्य।
11. व्ही.आई.पी.संदर्भित प्रकरणों का निष्पादन।

## 2. प्रबंधक (मा.सं.)—दो

1. ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विभिन्न संवर्गों की पदोन्नति पेनल का संधारण।
2. अतिविशिष्ट शासकीय पत्रों का उत्तर।
3. समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के उच्चतर वेतनमान के आवेदनों पर कार्यवाही व संधारण।
4. म.प्र.वि.मं. एवं छ.रा.वि.मं. के अधिकारियों के बंटवारे संबंधी कार्य।
5. होल्डिंग व ट्रेडिंग कंपनी के अधिकारियों के समस्त स्थापना व एल0टी0सी0 संबंधी कार्य।
6. अन्य विभागों के विद्युत कंपनी के अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रकरण।
7. विद्युत कंपनियों में सेवारत अधिकारियों/

कर्मचारियों के स्वीकृत पद/नियतकालीन पदों की स्थिति अद्यतन रखना।

8. नये पदों का सृजन व विलोपन का कार्य।
9. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के चल/अचल संपत्ति का संधारण का कार्य।
10. छ.ग.रा.विद्युत मंडल अंतरण नियम 2010 के तहत किये जाने वाले कार्य।
11. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरण।
12. उच्च शिक्षा, परिवार नियोजन एवं विशेष वेतन वृद्धि संबंधी प्रकरणों के कार्य।
13. उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर आदेशित कार्य।
14. सूचना के अधिकार के प्रकरणों पर कार्यवाही।
15. व्ही.आई.पी.संदर्भित प्रकरणों का निष्पादन।

### उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो

उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)—दो द्वारा निष्पादित कार्य को चार प्रभागों में बांटा गया है यथा प्रबंधक (मा.सं.)—तीन/चार एवं प्रबंधक (मा.सं.)—छः/आठ साथ ही उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधी कार्य विशेष रूप से किया जाता है।

#### 1. प्रबंधक (मा.सं.)—तीन

1. तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती।
2. व्ही.आई.पी.संदर्भित प्रकरणों का निष्पादन।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति।
4. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना।
5. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन का पुनर्विलोकन।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।

#### 2. प्रबंधक (मा.सं.)—चार

कर्मचारियों की स्थापना से संबंधित कार्य यथा:—

1. अवकाश यात्रा नगदीकरण।
2. पासपोर्ट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।
3. अवकाश अध्ययन एवं स्वीकृति।
4. चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय की अनुमति प्रदान करना।
5. अवकाश स्वीकृति।
6. वेतन का निर्धारण एवं वेतन वृद्धियाँ।

7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना एवं गोपनीय प्रतिवेदन का पुनर्विलोकन।
8. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।

### 3. प्रबंधक (मा.सं.)—छ:

1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का उच्च वेतनमान स्वीकृति।
2. केन्द्रीय संवर्ग के कर्मचारियों का वरिष्ठता सूची निर्धारण।
3. कार्यभारित कर्मचारियों का नियमितीकरण।
4. न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण।
5. कनिष्ठ यंत्री (पारे0/वित0/सिविल) का पदोन्नति।
- 7 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।
- 8 व्ही.आई.पी.संदर्भित प्रकरणों का निष्पादन।

### 5. प्रबंधक (मा.सं.)—आठ

1. प्रथम/द्वितीय श्रेणी पदो एवं कनिष्ठ यंत्रियों / सहा. प्रकाशन अधिकारी/सहा. विधि अधिकारी की नियमित/संविदा भर्ती।
2. द्वितीय श्रेणी एवं कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) की कंपनी स्थानांतरण पश्चात् नियमितीकरण।
3. द्वितीय श्रेणी एवं कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) द्वारा कंपनी की सेवा से त्याग पत्र संबंधी कार्यवाही।
4. द्वितीय श्रेणी अधिकारियों का चरित्र सत्यापन संबंधी कार्यवाही।
5. सुरक्षा निधि वापसी विषयक।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।
- 7 व्ही.आई.पी.संदर्भित प्रकरणों का निष्पादन।

### प्रबंधक (समन्वय व प्रशासन)

लोक सभा/विधान सभा संबंधी कार्य, ऊर्जा विभाग से समन्वय, राजभवन/राज्य शासन/व्ही.आई.पी. से प्राप्त होने वाले पत्राचार, कर्मचारियों के पुरस्कार, कम्प्यूटर अग्रिम स्वीकृति से संबंधित कार्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी स्टाफ नियंत्रण सहित दैनंदिनी प्रशासनिक कार्य, राष्ट्रीय समारोह, ट्रांजिट हाऊस, नई दिल्ली से संबंधित सभी कार्य केन्द्रीय ग्रंथालय,



गुड़ियारी एवं डंगनिया स्थित विभागीय आवास एवं रेस्ट हाऊस आबंटन डंगनिया परिसर के शेड, भवन तथा सभा कक्ष के आबंटन का कार्य, IPP's की प्रगति की मॉनिटरिंग, मेडिकल पॉलिसी, CMEC की बैठक से संबंधित कार्य, अन्य चिकित्सालय हेतु रिफरल केस व इलाज स्वीकृति से संबंधित कार्य, प्रायवेट चिकित्सालयों के Empanelment से संबंधित कार्य, कार्यालयीन स्थापना एवं केश सेक्शन का कार्य, विद्युत कंपनी की टेलीफोन डायरेक्टरी एवं डायरी प्रिंटिंग, मासिक प्रगति विवरण एकजाई कर ऊर्जा विभाग को प्रेषित करना, प्रमुख विद्युत समंक, प्रशासकीय प्रतिवेदन इत्यादि की जानकारी एकजाई कर प्रिंटिंग का कार्य, बजट तैयार करना, उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

### प्रबंधक (क्रय तथा सेवायें)

होलिडिंग कंपनी से संबंधित सभी प्रकार के टेण्डर्स/खरीदी संबंधी कार्य, सुरक्षा ठेका संबंधी कार्य, वाहन किराये पर लेने, व्ही.आई.पी. हेतु वाहनों की व्यवस्था करने तथा संचालक मंडल की बैठक संबंधी कार्य डंगनिया परिसर में कॉफी हाउस का ठेका संबंधी कार्य, दूरभाष एवं मोबाईल संबंधी कार्य एवं बिलों का भुगतान, वेतन पुनरीक्षण से संबंधित कार्य, कार्यालयीन स्टेशनरी एवं भंडारण सामग्री संबंधी कार्य, उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

### उप महाप्रबंधक (औ.सं.)

1. मजदूर संघों से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना
2. हड़ताल, धरना आदि के समय यथा शासन, श्रम न्यायालय से निर्देश प्राप्त करना एवं हड़ताल के संबंध में कार्यवाही करना।
3. कम्पनी प्रमुख के अनुमोदन उपरान्त श्रम एवं औद्योगिक न्यायालयीन प्रकरणों पर उचित कार्यवाही करना।
4. विद्युत कम्पनियों द्वारा अधिकृत सोसायटियों द्वारा स्कूल, केण्टीन इत्यादि चलाने हेतु अनुदान की अनुशंसा करना।
5. सुरक्षा सप्ताह आदि का क्रियान्वयन करना।
6. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन

करना।

### उपमहाप्रबंधक (विधि)

1. कम्पनी प्रमुख के अनुमोदन उपरान्त न्यायालयीन प्रकरणों पर अधिकृत अधिकारी (OIC) एवं अधिवक्ता नियुक्त करना।
2. अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत फीस का प्रबंध करना/निर्धारण करना।
3. न्यायालयीन प्रकरणों पर मासिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. न्यायालयीन प्रकरणों में विधिक सलाह देना एवं कम्पनियों के प्रकरणों में अनुमोदन प्राप्त करना।

### प्रकाशन अधिकारी

1. विभिन्न संचार माध्यमों में कम्पनियों की उपलब्धियों/गतिविधियों का प्रकाशन।
2. 'संकल्प पत्रिका' का प्रकाशन।
3. समाचार पत्रों आदि में प्रकाशन हेतु समाचार बुलेटिन आदि तैयार करना।
4. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनीय आदि के लिए विज्ञापन का संधारण करना।
5. विभिन्न समाचार एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत दर, बिल, प्रस्ताव आदि को स्वीकृत करना।
6. प्रेस दौरा, प्रेस कांफ्रेंस, पत्रकार सम्मेलन, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह आदि की व्यवस्था करना।
7. पत्र प्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना
8. स्थानीय वरिष्ठ अधिकारियों से सत्त सम्पर्क, नियमित एवं सामयिक विभागीय प्रकाशन एवं मुद्रण में सहयोग।
9. कम्पनी के हित में समाचार प्रकाशन करवाना।
10. विभागीय प्रदर्शनी संबंधित कार्यों का सम्पादन करना।

### मुख्य सतर्कता अधिकारी

1. ऐसे शिकायत पत्र/प्रकरण जिसमें पावर कंपनी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर स्वयं के लिए लाभ प्राप्त करने की शिकायत की गई हो।
2. ऐसे शिकायत पत्र/प्रकरण जिनमें पावर कंपनी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या किसी संस्थान (कंपनी, सोसाइटी आदि) को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने की

शिकायत की गई हो।

3. ऐसे शिकायत पत्र/प्रकरण जिनमें पावर कंपनी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नियमों की अवहेलना कर पावर कंपनी को हानि पहुंचाने की शिकायत की गई हो।
4. ऐसे शिकायत पत्र/प्रकरण जिनमें पावर कंपनी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियमों (जिन्हें पावर कंपनी द्वारा एडॉप्ट किया गया है) के उल्लंघन किये जाने की शिकायत की गई हो।

**कार्यपालक निदेशक  
(विभागीय जांच)–संविदा**

1. पावर कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/ई.ओ.बी. से संबंधित कार्य।

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अंतर्गत वित्त संकाय में कार्यरत अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार निष्पादित कार्य:-**

1. कार्यपालक निदेशक (वित्त)
  1. होल्डिंग कंपनी के वित्तीय प्रस्तावों पर अधिकार क्षेत्रांतर्गत अनुमोदन।
  2. बजट, शासकीय बजट तथा योजना आयोग संबंधित कार्य।
  3. बैंक एवं अर्थ प्रबंधन, जी.पी.एफ., एल.आई.सी. एवं भवन निर्माण अग्रिम संबंधी।
  4. स्थापना, सामान्य प्रशासन, पेंशन, अंकेक्षण, सार्वजनिक उपक्रम तथा ए0जी0 आडिट संबंधी कार्य।
  5. संसाधन आयोजना संबंधी कार्य, पूर्व के म0प्र0वि0मं0/छ0रा0वि0मं0 के आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा संबंधी, छ0रा0वि0मं0 का पुर्नगठन और उससे संबंधित कार्य।
  6. प्रबंध निदेशक, होल्डिंग कम्पनी के निर्देशानुसार वित्तीय कार्य।

**2. अति. महाप्रबंधक  
(वित्त एवं लेखा)**

1. होल्डिंग कंपनी के समस्त खातों का संधारण ।
2. 31 दिसम्बर, 2008 तक के समस्त खातों का अंतिमीकरण एवं अंकेक्षण ।
3. करारोपण एवं समस्त आयकर प्रकरण जो कि किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन में लंबित हो एवं पूर्ववर्ती छ.रा.विद्युत मण्डल के नाम पर हो ।
4. पेंशन, जी.एस.एल.आई.एस. आई.टी. (सैप) आडिट एवं सी.ए.यू.

**3. उपमहाप्रबंधक (वित्त)**

1. बैंक एवं अर्थ प्रबंधन ।
2. बिल्स, विद्युत मण्डल के पुनर्गठन से संबंधित ।
3. म.प्र.वि.मं. से संबंधित समस्त प्रकरण जो कि किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या किसी भी राज्य शासन/केन्द्रशासन में लंबित हो ।
4. वित्त संबंधी Co-ordination कार्य ।
5. छ.रा. विद्युत मण्डल के पुनर्गठन के संबंधित कार्य

**4. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)**

1. बैंक एवं अर्थ प्रबंधन ।
2. वित्तीय अनुमोदन संबंधी कार्य ।
3. सामान्य प्रशासन एवं स्थापना कार्य ।
4. वित्तीय संयोजन संबंधी कार्य ।
5. पूर्ववर्ती छ.रा.वि.मं. एवं म.प्र.वि.मं. के पुनर्गठन से संबंधित कोई भी प्रकरण जो कि पूर्ववर्ती म.प्र.वि.मं. के पुनर्गठन से संबंधित हो एवं किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन के कार्यालय में लंबित प्रकरण ।

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## मैनुअल क्रमांक-4 (ख) iii

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं)

1. विद्युत अधिनियम, 2003 ।
2. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम ।
3. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 ।
4. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम,1966 ।
5. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 ।
6. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 ।
7. सामान्य सेवा नियम ।
8. सामान्य भविष्य निधि नियम ।
9. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ (Reorganization) पुनर्गठन अधिनियम, 2000 ।
10. वाणिज्यिक लेखा (Commerical Account) मैनुअल ।
11. नगदी लेखा (Cash Account) मैनुअल ।
12. आचार संहिता ।
13. ई.एस.एस.ए.आर., 1985 ।
14. राज्य शासन का नोटिफिकेशन दिनांक 03.06.2006 ।
15. आर.ए.ओ. मैनुअल ।
16. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, रायपुर के कार्यालय में निर्धारित शुल्क नगद (नगद से आशय कार्यालय में जमा की गई राशि की पावती रसीद) अथवा गैर न्यायिक स्टाम्प / चालान / मनीऑर्डर / बैंकड्राफ्ट / डिमाण्ड ड्राफ्ट / भारतीय पोस्टल आर्डर के द्वारा जो कि “सहायक प्रबंधक, छ.ग. स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, रायपुर (Assistant Manager, CSPHCL, Raipur)”के नाम से देय हो जमा किए जा सकते हैं ।

### होल्डिंग कंपनी में प्रभावशील श्रम अधिनियम

1. मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961
2. व्यवसाय संघ अधिनियम 1926
3. बोनस संदाय अधिनियम 1965
4. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923
5. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
6. वेतन भुगतान अधिनियम 1936
7. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
8. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
9. उपदान संदाय अधिनियम 1972
10. समान वेतन अधिनियम 1976
11. कर्मचारी भविष्य निधि व प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952
12. संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970
13. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

### मैनुअल क्रमांक-4 (ख) iv

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान )

संबंधित विभाग के द्वारा प्रकरण शुरू किया जाता है और सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो कि प्रत्योजित शक्तियों के अनुसार प्रकरण को उचित माध्यम से स्वीकृत करने हेतु शक्ति सम्पन्न है ।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

### मैनुअल क्रमांक-4 (ख) v

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख)

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड रायपुर में समस्त प्रकरण यथा संभव समय-सीमा के अंदर पालन करते हुए निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं ।

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## मैनुअल क्रमांक-4 (ख) vi

( छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में दस्तावेजों जो धारित या नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण )

अपने कृत्यों के निर्वहन से संबंधित अभिलेखों को सामान्यतः नस्तियों/पंजियों के रूप में संधारित किया जाता है । सामान्यतः संधारित किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों का वर्गीकरण निम्नलिखित है :-

1. गोपनीय चरित्रावलियों ।
2. व्यक्तिगत नस्तियाँ (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) ।
3. निविदा अभिलेख/टेका अनुबंध ।
4. क्रय/कार्य प्रकरण नस्तियाँ ।
5. आस्तियाँ एवं सम्पत्ति पंजी ।
6. अवकाश अभिलेख एवं अन्य स्थापना अभिलेख ।
7. न्यायालयीन प्रकरण नस्तियाँ ।
8. अन्य प्रकीर्ण नस्तियाँ/पंजियाँ ।
9. वार्षिक लेखा प्रपत्र ।
10. ऊर्जा क्रय संबंधी वाणिज्यिक अनुबंध ।
11. टी.ए.बिल, मेडिकल बिल, आवक-जावक पंजी, कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी ।
12. विभिन्न समितियों का गठन ।
13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित पंजी ।
14. व्ही.आई.पी. संदर्भित शिकायतों/प्रकरणों से संबंधित पंजी ।

उपरोक्त विषयों से संबंधित दस्तावेजों का संधारण फाइलों/रजिस्ट्रों के माध्यम से किया जाता है ।



## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

### मैनुअल क्रमांक-4 (ख)vii

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए या अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं)

लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण तथा तत्संबंधी क्रियान्वयन हेतु जनता या जनप्रतिनिधि से/को परामर्श/भागीदारी का प्रावधान दर्शाता प्रारूप निम्नानुसार है :-

स. क्र.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता को भागीदारी अनिवार्य है ? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
1	निरंक	निरंक	निरंक

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## मैनुअल क्रमांक-4 (ख) viii

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत  
गठित मण्डल परिषद कमेटी)

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी के संबंध में जानकारी निरंक है ।

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## मैनुअल क्रमांक-4(ख) ix

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

ED (H.R), C.S.P.H.C.L.

क्र.	पदनाम	नाम सर्वश्री	दूरभाष क. (आफिस)	दूरभाष क्रमांक (निवास)	मोबाइल नं०	फैक्स क्रमांक
1.	प्रबंध निदेशक	श्रीमती उज्ज्वला बघेल	2574300	----	9399681557	4066931
2.	महिला निदेशक	श्रीमती उज्ज्वला बघेल	2574500	----	9399681557	---
3.	कार्यपालक निदेशक(मा.सं.)	मनोज खरे	2574700	----	9171876410	2574157
4.	अति. महाप्रबंधक (मा.सं.)	पी. पाण्डेय	2574040	----	9425505364	.....
5.	मुख्य चिकित्साधिकारी	डॉ.एच.एल.पंचारी	2574612	2574086	9424154615	---
6.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	विंग.कामन्डर ए.श्रीनिवास (से.निृ)	-----	-----	9039916828	----
7.	उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-I	डॉ. श्रीमती अल्पना शरत तिवारी	2574690	---	9424200133	---
8.	उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-II	आर.एस.डहारिया	2574151	---	9425230555	---
9.	कार्यपालक निदेशक (विभागीय जांच) (संविदा)	आनंद कुमार तिवारी	2574111	---	9425293000	---
10.	उपमहाप्रबंधक (औ.सं.)	गोपाल खंडेलवाल	2574171	2106027	9425093614	---
11.	उपमहाप्रबंधक (विधि)	सुनील पटेल (चालु प्रभार)	2574023	---	8770975570	---
12.	मुख्य सतर्कता अधिकारी	कृपाशंकर तिवारी	2576060	---	9425162601	2576061
13.	प्रबंधक (मा.सं.) तीन / चार / छः / आठ	पंकज सिंह परमार	2574157	---	9425015018	---
14.	प्रबंधक (क्रय तथा सेवायें)	संजय कुमार जैन	2574114	----	9826902144	---
15.	प्रबंधक (समन्वय तथा प्रशासन)	श्रीमती स्नेहा सिंग	2574113	---	8319237965	---

16.	सहायक यंत्री (सतर्कता)	श्रीमती पुष्पलता वर्मा	2576065	---	9406210049	---
17.	सहायक यंत्री (मा.सं.)	श्रीमती पल्लवी शाह मरकाम	---	---	9406230104	---
18.	प्रबंधक (औ.सं.)	अतुल तिवारी	2574671	---	9406236356	---
18.	सहायक प्रबंधक (मा.सं.)	अब्राहम वर्गीस	-----	-----	9893350685	---
19.	सहायक प्रबंधक (मा.सं.)	शीतल साहू	-----	-----	9301520195	---
20.	सहायक प्रबंधक (मा.सं.)	नागेश राम साहू	-----	-----		-----
21.	सहायक प्रबंधक (मा.सं.)	कु. अनुप्रिया गढ़वाल	-----	-----	6232050792	---
22.	सहायक प्रबंधक	कन्हैया देवांगन	---	---	9009834345	---
23.	प्रकाशन अधिकारी	विकास शर्मा	---	---	9329444278	----
24.	विधि अधिकारी	सुनील कुमार पटेल	2574673	---	8770975570	---

कार्यपालक निदेशक (वित्त) के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं दूरभाष क्रमांक का विवरण :-

क्र.	पदनाम कार्यालय का नाम	अधिकारी का नाम	दूरभाष क्रमांक			
		सर्वश्री / श्रीमती	कार्यालय	निवास	मोबाइल	फैक्स
1	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	संदीप मोदी	2574359	2574341	9425244583	---
2	अति.महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	एस.के.शर्मा	2574323	2574324	98268-32747	---
3	उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	श्रीमती नीतु मुखर्जी	2574361	---	9826068020	---

4	प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	राजेश कुमार तांती	2574369	---	93024-47958	---
5	सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	लेख राम साहू	2574346	---	9300310479	---
6	सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	रूपेश नाग	---	---	8461085464	---

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## मैनुअल क्रमांक-4 (ख) X

छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली है की जानकारी :-

(प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति)

अधिकारियों और कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के निर्धारित नियमावली के अनुसार किया जाता है। भुगतान किए गए मासिक पारिश्रमिक (दिसंबर 2020 की स्थिति में) का विवरण निम्नानुसार है :-

<b>OFFICE OF THE ED (FIN), CSPHCL, RAIPUR</b>				
<b>INFORMATION REGARDING SALARY</b>				
<b>S.N.</b>	<b>EMP NO.</b>	<b>NAME OF OFFICER SHRI</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>SALARY</b>
1.	93513363	Smt. Ujjwala Baghel	Managing Director	305590
2.	93513868	G.L Chandra	GM(HR)	337404
3.	92037199	Sandeep Modi	ED (Fin)	322976
4.	92301661	Dr. H.L.Panchari	C.M.O.	316603
5.	18901103	Anand Kumar Tiwari	E.D. (Deptt. Enquiry)	175940
6.	89041080	Pradyumna Pandey	A.G.M.(HR)	301590
7.	96970098	S.K Sharma	A.G.M.(F&A)	232962
8.	92037521	Ashok Kumar Pandey	ACE.	301590
9.	93513891	V.K Agrawal	S.E	270921
10.	9950667	Dr.Smt, Alpana Sharat Tiwari	D.G.M, (HR)-I	140182
11.	90586297	R.S. Dahariya	D.G.M.(HR) II	212714
12.	90018275	Gopal Khandelwal	D.G.M. (IR)	278901
13.	89970718	K.S.Tiwari	CVO	267560
14.	18901104	Arun Mishra	Company Secretary (Contract)	75000
15.	92313475	Manoj Koshley	E.E.	152497
16.	9950675	Pankaj Singh Parmar	MANAGER (HR)	133931
17.	85976635	Atul Kumar Tiwari	MANAGER (IR)	220913
18.	84619426	Sunil Kumar Jain	MANAGER (P&S)	288683
19.	9950121	Rajesh Tanti	MANAGER (F&A)	130207

20.	9950444	Smt. Neetu Mukherjee	MANAGER (F&A)	133931
21.	9950056	Smt. Sneha Singh	MANAGER (C&A)	134031
22.	05040142	Smt. Pushpalata Verma	Asst. Engineer	115343
23.	11060190	Smt. Pallavi Shah Markam	Asst. Engineer	87823
24.	15370048	Vikas Sharma	PO	71526
25.	19930082	Ku. Anupiya Garehwal	AM (HR)	78513
26.	89377252	Abraham Varghese	AM (HR)	201538
27.	10950185	Rupesh Nag	A,M, (F&A) (T)	59877
28.	89049231	S.R.Kumar	PS	201538
29.	90376136	Deepak Ram Yadav	PS	184780
30.	99110347	Narendra Diwan	PS	112172
31.	92511475	Ravikant Sahu	Sr. Security Officer	149891
32.	10950342	Kanhiya Lal Dewangan	A.M (T)	56100
33.	15900005	Sunil Kumar Patel	Law Officer	69187

<b>OFFICE OF THE ED (FIN),CSPHCL,RAIPUR</b>				
<b>INFORMATION REGARDING SALARY</b>				
<b>S.N.</b>	<b>EMP NO.</b>	<b>NAME OF EMPLOYEE SHRI</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>NET SALARY</b>
1.	90519462	Manoj Kumar Tiwari	SECTION OFFICER	195819
2.	92451887	Sheetal Sahu	SECTION OFFICER	201538
3.	92452737	Nagesh Ram Sahu	SECTION OFFICER	171331
4.	90514041	Lekhram Sahu	SECTION OFFICER	184780
5.	91376598	Ishwar Prasad Sharpa	SECTION OFFICER	176385
6.	92511335	Rameshwar Nagtode	SECTION OFFICER	176385
7.	90518415	Kamlesh Kumar Kecti	SECTION OFFICER	176385
8.	92451119	Subhash Sadanand Joshi	SECTION OFFICER	179460
9.	93514015	Amit Kumar Mehta	SECTION OFFICER	178620
10.	92513950	Upendra Kumar Sahu	P.A.	184780
11.	85970547	K. Sanyasi Rao	P.A.	174406
12.	85973053	Shirish Athaley	P.A.	190233
13.	85975736	Anil K. Thomas	P.A.	146875
14.	90291559	Shrikant Londhe	P.A	190233
15.	90514793	Sanjay Agrawal	SR. STENO	117067
16.	90330860	Surendra Kumar Sahu	SR. STENO	156967
17.	92480076	Jabir Mohd. Quraishi	SR. STENO	134772

18.	9950337	Virendra Kumar Patak	SR. STENO	65729
19.	92511285	Dhananjay Kumar Agarwal	O.A.GR.I	166410
20.	92510865	Dilip Kumar Agarwal	O.A.GR.I	171331
21.	92510957	Anant Kumar Mistri	O.A.GR.I	108551
22.	15140016	Smt. Anamika Mandavi	Asst. Pub. Officer	69187
23.	90049569	Shriniwas Patel	O.A.GR.I	156967
24.	91453918	Pradeep Singh Nadanwan	O.A.GR.I	113742
25.	90512020	Shailesh Kumar Soni	O.A.GR.I	120525
26.	93510732	Kamal Bhawar	O.A.GR.I	117067
27.	92540946	Ajay Kumar Jhariya	O.A.GR.I	96452
28.	92513752	Shesh Kumar Soni	O.A.GR.I	100158
29.	92510551	Manoj Kumar Verma	O.A.GR.I	124116
30.	91514561	M. H. Saify	O.A.GR.I	120525
31.	91516848	Radheshyam Kesharwani	O.A.GR.I	113742
32.	90513804	Komal Pd. Patel	O.A.GR.I	171331
33.	90517888	Sudhir Ganpat Rao Rajimwale	O.A.GR.I	117067
34.	90580655	Umesh Kumar Bramh	O.A.GR.I	117067
35.	91371896	Rajendra Kumar Patel	O.A.GR.I	117067
36.	91047851	Smt. Sushila Chandrakar	O.A.GR.I	108555
37.	4950043	Smt. Pushpa Poddar	O.A.GR.I	77832
38.	4950282	Naveen Kumar Sahu	O.A.GR.I	77832
39.	4950795	Jitendra Choudhary	O.A.GR.I	77832
40.	04330899	Ramdhan Rathore	O.A. GR.II	64707
41.	05950299	Jitendra Kumar Sahu	O.A. GR.II	73443
42.	05950380	Lokeshwar Dewangan	O.A. GR.II	65330
43.	09950964	Nandkishor Sahu	O.A. GR.II	59877
44.	09950972	Smt. Sarika Sahu	O.A. GR.II	52773
45.	09950980	Smt. Bharti Pillay	O.A. GR.II	61606
46.	09951004	Rahul Kadam	O.A. GR.II	61606
47.	09950246	Yogesh Kumar Farikar	O.A. GR.II	65330
48.	10950011	Sandeep Kumar Agrawal	O.A. GR.II	58148
49.	10950029	Balwant Verma	O.A. GR.II	59877
50.	10950037	Prasanna Kumar Dubey	O.A. GR.II	58148
51.	6548076	Prabhu Sharan Singh	SI	62155
52.	9950311	Sanjay Kumar Verma	O.A. GR.III	58148
53.	9950386	Pushplata Rawat	O.A. GR.III	51252
54.	2090110	Kamlesh Dewangan	DEO	19800
55.	10950375	K.M.Lalita	Sr.Steno.-1	56768
56.	15450318	Rajnish Choubey	J.E	55488



57.	18901106	Devendra Kumar Kshatri	DEO	28755
58.	20901102	Avinash Banjare	DEO	19800
59.	20901103	Sharda Shandilya	DEO	19800
60.	20901104	Amit Kumar Chandrakar	DEO	19800
61.	18901105	Govind Ballabh	Protocol Assistant (C)	26316
62.	87382097	Bhakt Prahlad Dewangan	Motar Driver	98464
63.	91374031	Uttam Kumar Pal	Motar Driver	107508
64.	16901104	Ramesh Chandila	Motar Driver	30450
65.	87033740	Ramesh Singh Porte	Hd. Securty Gaurd	100449
66.	94321575	Manik Chand Kujur	Hd. Securty Gaurd	90218
67.	85973558	Tarachand Ben	Hd. Securty Gaurd	101390
68.	89422784	Vijay Lakra	Hd. Securty Gaurd	90218
69.	89048572	Shesh Narayan Verma	Sr. Securty Gaurd	114025
70.	92512804	Gajanand Sahu	Hd. Securty Gaurd	121832
71.	93516358	Sanjay Tembe	Assistant Head Photographar	80891
72.	93517901	Devendra Kumar Latore	Peon	53368
73.	04950233	Ragani Bai Siware	Peon	50309
74.	4950175	Lal Bahadur Patel	Peon	53368
75.	4950365	Amrit Lal Patel	Peon	50309
76.	5950349	Uma Sahu	Peon	45903
77.	9950527	Jageshwar Sahu	Peon	38257
78.	9950618	Smt. Santoshi Chauhan	Peon	35533
79.	10950250	Suryabhan Patel	Peon	37204
80.	10950276	Vimlesh Kumar Patel	Peon	37204
81.	10950284	Pyare Lal Yadav	Peon	42196
82.	10950409	S. Bhagirathi Rao	Peon	33694
83.	10950417	Pitamber Kumar Verma	Peon	36083
84.	13900101	Poornima Yadu	Peon	37906
85.	13900104	Mahesh Rathore	Peon	37906
86.	14900003	Laxmi Kashyap	Peon	32458
87.	15900002	Narottam Yadav	Peon	36992
88.	15900006	Shankar Dhanak	Peon	31522
89.	15900003	Smt. Asha Banjare	Peon	36992
90.	85977849	Dayal Singh Netam	Peon	98996
91.	92332541	Jagat Pal Yadav	Peon	76909
92.	93397551	Asha Pal	Peon	76909

<b>93.</b>	93517298	Manoj Kumar	Peon	56560
<b>94.</b>	93517323	Rajendra Kumar Baghmar	Peon	56560
<b>95.</b>	93517348	Lekh Ram Sahu	Peon	67393
<b>96.</b>	93517414	Dew Kumar Sahu	Peon	54964
<b>97.</b>	93517422	Ambika Pd. Dhiwar	Peon	48436
<b>98.</b>	93517935	Sukhlal Kanojiya	Peon	47032
<b>99.</b>	93518008	Awadh Sharan Patel	Peon	56560
<b>100.</b>	93518669	Yado Rao Dahake	Peon	53368
<b>101.</b>	93519088	Prem Lal Dawriya	Peon	53368
<b>102.</b>	93519096	Dhani Ram Sahu	Peon	53368
<b>103.</b>	96447790	Subodh Kumar Ghasiya	Peon	62008
<b>104.</b>	13930044	Sushila Bai Chelak	Peon	33694

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## मैनुअल क्रमांक-4 (ख) xi

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को आबंटित बजट निम्नानुसार है :-

(Rs in Lakhs)

SI.No	PARTICULARS	(HR+FINANCE) CSPHCL			
		Actual for the year 2019-20	B.E for the year 2020-21	R.E for the year 2020-21	B.E for the year 2021-22
1	2	3	4	5	6
Employee Expenses					
1	Basic Pay (Incl.Dearness Pay)	1,988.43	1,747.80	1,671.21	1,567.89
2	Interim Relief				
3	Dearness Allowance	268.56	297.13	273.49	409.23
4	Other Allowances				
	(1) City Compensatory				
	(2) Compensatory Allowance	29.78	26.66	22.94	21.83
	(3) House Rent Allowance	281.41	257.31	236.59	229.85
	(4) Risk/ Heavy Duty Allowance				
	(5) Conveyance	23.12	21.16	22.81	18.83
	(6) Overtime				
	(7) Others	15.77	10.61	7.66	7.60
5	Bonus				
6	Ex.gratia	14.78	12.94	11.37	9.50
7	Medical Expense Reimbursement	27.67	31.00	7.87	32.00
8	Leave Travel Assistance	6.42	4.88	6.92	6.50
9	Tution Fee Reimbursement	0.22	0.54	0.60	0.50
10	Earned Leave Encashment				
11	C-off encashment to Officers & officials				
12	Payment under Workmens				
13	Expenses for ESLIS				
14	Free electricity to Employees				
15	Staff Welfare Expenses	17.58	60.00	5.76	60.00
16	House Building Advances (Net)				
17	Hospital Expenses	72.52	103.00	10.00	103.00
18	Terminal Benefits				
19	Misc. Expenses				
20	Festival/Grain/M.Cycle/M.Car				
	<b>Total Employee Expenses</b>	<b>2,746.27</b>	<b>2,573.03</b>	<b>2,277.21</b>	<b>2,466.73</b>

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

### मैनुअल क्रमांक-4 (ख) xii

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है के संबंध में जानकारी निरंक है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
मैनुअल क्रमांक-4 (ख) xiii

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ:-

अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण निरंक है ।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

### मैनुअल क्रमांक— 4(ख) xiv

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उपलब्ध हो या धारित हो :-

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड रायपुर के वेबसाइट <http://www.cspc.co.in> में कम्पनी से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध है ।

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## मैनुअल क्रमांक-4(ख) XV

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष एवं कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं)

सूचनाओं को जनमानस तक पहुँचाने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं :-

1. समस्त जानकारी कम्पनी की वेबसाइट में उपलब्ध है ।
2. सूचना पटल ।
3. अखबारों के माध्यम से ।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जनमानस आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क सहायक प्रबंधक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर (**Assistant Manager, CSPHCL, Raipur**) के नाम से अदायगी के पश्चात् नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं अथवा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं ।
5. उपलब्ध विभागीय मैनुअल ।

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**  
**मैनुअल क्रमांक-4 (ख) XVI**

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में लोक सूचना अधिकारी का नाम,  
पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ**

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अपीलीय अधिकारी,  
जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी का विवरण अद्यतन स्थिति में :-

क्र.	कार्यालय का स्तर	कार्यालय का नाम, स्थान, पता एवं दूरभाष क्रमांक	जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पद का नाम	सहायक जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पद का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पद का नाम
1.	महाप्रबंधक (मानव संसाधन)	महाप्रबंधक (मा0सं0) छ.ग. स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर दूरभाष क्र. 2574700	श्री आर.एस. डहारिया उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-दो दूरभाष क्रमांक 2574151	श्री पंकज सिंह परमार प्रबंधक (मा.सं.) दूरभाष क्रमांक 2574157	श्री मनोज खरे कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) दूरभाष क्रमांक 2574700
2.	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) छ.ग. स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर दूरभाष क्रं 2574359	श्री एस.के शर्मा अति. महाप्रबंधक (वित्त) दूरभाष क्रमांक 2574323	श्री राजेश कुमार तांती प्रबंधक(के.ले.ई.) दूरभाष क्रमांक 2574345 2574346	श्री संदीप मोदी कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) दूरभाष क्रमांक 2574359



सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
मैनुअल क्रमांक-4 (ख) xvii

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में अन्य सूचना जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा)